शब्द–ब्रह्म
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका
ISSN 2320 – 0871
17 फरवरी 2014

अनुसंधान:चुनौतियां और समाधान

डॉ.बलवीर सिंह जमवाल, प्रिंसिपल
बी.के.एम. कॉलेज आफ एजुकेशन
बलाचैर, जिला-शहीद भगतसिंह नगर (नवांशहर) पंजाब, भारत

शोध संक्षेप

मानव एक सामाजिक प्राणी है। समाज में ही वह जन्म लेता है और समाज में ही रहकर अपना जीवन व्यतीत करता है। समाज में रहते हुए ही उसे कई समस्याओं का सामना करना पडता है। समस्याओं का हल निकालने के लिए वह किसी विधि से तथ्यों को एकत्रित करता है। उनका आकलन व विश्लेषण किसी न किसी उचित तकनीक से करता है और अन्त में वह निष्कर्ष पर पहुँचता है। इस प्रक्रिया को ही अनुसंधान कहा जाता है। अनुसंधान का कार्य प्राचीन काल से हो रहा है और आज तक चलता आ रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि उस समय अनुसंधान की प्रकृति अलग थी। उसकी प्रक्रिया प्राचीनतम थी परन्तु आज के अनुसंधान की प्रकृति अलग है तथा इसकी प्रक्रिया भी आधुनिक है। जैसे-जैसे शिक्षा के क्षेत्रा में विकास हुआ वैसे-वैसे ही अनुसंधान की प्रकृति व प्रक्रिया में परिवर्तन आया है। अनुसंधान के बारे में बड़े-बड़े विश्वविद्यालय बड़े-बड़ दावे करते हैं परन्तु अनुसंधान करना व करवाना दोनों ही आसान कार्य न होकर बड़ा कठिन कार्य है, क्योंकि इसके लिए सुपरवाइजरों, शोधकर्ताओं, वित्त, शोध केन्द्रों, शोध पर्यावरण, उपकरणो आदि की अत्यन्त आवश्यकता होती है। अनुसंधान कार्य सरल नहीं है इसका रास्ता चुनौतियों से भरा हुआ है। इन चुनौतियों का सामना तभी सम्भव है जब केन्द्र सरकार और राज्य सरकार आपस में गहरे दिल से हाथ मिलाएं। इस लेख में लेखक ने अनुसंधान, इसके सामने चुनौतियों और इनके समाधान के उपायों पर प्रकाश डाला है। लेखक यह आशा करता है कि इस लेख को पढ़कर शोधकर्ता और सुपरवाइजर नीति निर्धारक और बुद्धिजीवी वर्ग, अनुसंधान में आने वाली चुनौतियों का सामना आसानी से कर सके।

प्रस्तावना

धरती पर मनुष्य जहां कहीं भी रहता है वहीं समाज है और समाज में सामाजिक घटनाएं होती रहती हैं। सामाजिक घटनाओं का अभिप्राय समाज में रहने वाले व्यक्तियों की क्रियाओं व्यवहारों और चिन्तन करने के तरीकों से है। सामाजिक घटनाओं में मुख्य विशेषताएं विविधता, अर्मूतव्य, जटिलता और परिवर्तन इत्यादि पाई जाती हैं। इनमें मुख्यतयः पक्षपात और अनिश्चितता रहती है। इन घटनाओं का अध्ययन वैज्ञानिक ढंग से करना बड़ा मुश्किल है। अध्ययनों के आधार पर निश्चित सामाजिक नियमों का प्रतिपादन नहीं किया जा सकता है। अनुसंधानकर्ताओं के लिए आवश्यक है कि वह घटनाओं की प्रकृति का अध्ययन करे और सामाजिक घटनाओं को अच्छी तरह समझ ले। कहने का मतलब है कि चयनित समस्या का गहरा अध्ययन करें। अनुसंधानकर्ता किसी विशेष समस्या का चयन करता है उससे सम्बन्धित आंकड़े किसी न किसी उचित विधि को अपनाकर एकत्रित करता है और एकत्रित आकड़ों का विश्लेषण किसी सांख्यिकी की उचित पद्धति को अपनाकर करता है। उसके बाद व्याख्या करके निष्कर्ष पर पहुँचता है, इस सम्पूर्ण प्रक्रिया को अनुसंधान का नाम दिया जाता है।

व्यक्ति की यह विशिष्टता रही है कि वह अपने चारों ओर विद्यमान वातावरण को समझने का प्रयास करता है। परिणामस्वरूप उसे अनुसंधान कार्य करना होता है, ताकि वह अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। अवैज्ञानिक-

अनुसंधानकर्ता समय एवं धन का अपव्यय करता है। अनुसंधान शब्द का प्रयोग वैज्ञानिक अनुसंधान के सन्दर्भ में किया जाता है। इस सन्दर्भ में जे डब्ल्यू. ने लिखा है कि विश्लेषण की वैज्ञानिक विधि को आकारिक, व्यवस्थित एवं गहन रूप में प्रयोग करने को अनुसंधान कहा जाता है। साथ में लिखा है कि एक व्यक्ति बिना अनुसंधान किए वैज्ञानिक हो सकता है, परन्तु कोई व्यक्ति बिना वैज्ञानिक बने अनुसंधान नहीं कर सकता। डॉ. सुरेन्द्र सिंह ने लिखा है कि अनुसंधान शब्द का व्युत्पत्तिपरक अर्थ 'बार-बार खोजने' से सम्बन्धित है। रिसर्च शब्द आंग्ल भाषा का शब्द है जो दो शब्दों के मेल से बना है जो 'री' और 'सर्च' है। 'री' का अर्थ बार-बार और 'सर्च' का अर्थ खोज है। इस प्रकार रिसर्च का अर्थ बार-बार खोज या पुनः की जाने वाली खोज है। दी न्युसेंचुरी डिक्शनरी के अनुसार- अनुसंधान का अर्थ किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के विषय में सावधानी से खोज करना, तथ्यों अथवा सिद्धान्तों का अन्वेषण करने के लिए विषय सामग्री की निरन्तर सावधानी पूर्वक पूछताछ अथवा पड़ताल करना। इन्साईक्लोपीडिया ऑफ़ साइंस के अनुसार- 'अनुसंधान वस्तुओं प्रत्ययों तथा संकेतों आदि को कुशलतापूर्वक व्यवस्थित करता है, जिसका उद्देश्य सामान्यीकरण द्वारा विज्ञान का विकास, परिमार्जन अथवा सत्यापन होता है, चाहे वह ज्ञान व्यवहार में सहायक हो अथवा कला में। अनेस्ट ग्रीनवुके के अनुसार- 'अनुसंधान की परिभाषा ज्ञान की खोज में प्रमाणीकृत कार्य रीतियों के प्रयोग के रूप में की जा सकती है'। जी.एम. फिशर के अनुसार- 'किसी समस्या को हल करने या किसी उपकल्पना की जाँच करने अथवा नवीन घटनाक्रम तथा उसमें पाए जाने वाले नए सम्बन्धों की खोज करने हेतु उपयुक्त पद्धतियों का किसी सामाजिक स्थिति में जो प्रयोग किया जाता है उसे सामाजिक अनुसंधान कहा जाता है। मोसर के अनुसार- सामाजिक घटनाओं या समस्याओं के सम्बन्ध में नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए किए गए व्यवस्थित खोज या अन्वेषण को सामाजिक अनुसंधान कहते हैं। बोगार्डस के अनुसार- 'एक साथ रहने वाले लोगों के जीवन में क्रियाशील अन्तर्निहित प्रक्रियाओं की खोज या अन्वेषण ही सामाजिक अनुसंधान है।'

Rational way of thinking, तार्किक ढंग से चिन्तन E- Executive Treatment ; परिश्रम के साथ कार्य करना S- Search for solutions ; समाधन की खोज करना E- Exactness ; शुद्धता या निश्चितता)।. Annalistic विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण) R- Relationship of Facts (तथ्यों में सम्बन्ध) C-Critical Observation (आलोचनात्मक परीक्षण) H – Honesty work ईमानदारी के साथ कार्य।.

चुनौतियां

अनुसंधान की निम्नलिखित चुनौतियां हैः

1.अनुसंधान के प्रति विद्यार्थी का रूझान: वास्तविक रूप में देखा गया है कि यदि विद्यार्थी का रूझान अनुसंधान के प्रति है तो अनुसंधान अच्छा रहता है परन्तु यदि अनुसंधान के प्रति रूझान कम है तो अनुसंधान या तो पूरा नहीं हो पता या अगर पूरा होता भी है तो उसके परिणाम अच्छे नहीं रहते। वास्तविक रूप में केवल 20 प्रतिशत विद्यार्थियों का ही रूझान अनुसंधान के प्रति होता है।

2.अनुसंधान के लिए वास्तविक डाटा की कमी: अनुसंधान में सबसे बड़ी चुनौती यह है कि

अनुसंधान के लिए वास्तविक डाटा की आवश्यकता होती है। परन्तु वास्तविक डाटा नहीं मिल पाता। जो भी सूचना एकत्रित की जाती है वह 100 प्रतिशत सही होनी चाहिए परन्तु यह सूचना 60 प्रतिशत भी वास्तविक या असली या सत्य नहीं होती।

3.अनुसंधान केन्द्रों की कमी: यह देखा गया है कि भारत में अनुसंधान केन्द्रों की कमी है। अनुसंधान करने वाले ज्यादा हैं और अनुसंधान केन्द्र बहुत कम हैं। जिस कारण अनुसंधानकर्ताओं को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार तो उचित पाठ्य सामग्री न मिलने के कारण अनुसंधानकर्ता को जगह-जगह घूमना पड़ता है और कई बार तो शोधकर्ता दुःखी होकर शोध कार्य को बीच में ही छोड़ देता है।

4.सुपरवाईज़रों की अनुसंधान के प्रति रूझान की कमी: सुपरवाइज़रों का अनुसंधान के प्रति रूझान की कमी देखी गई है उनका ज्यादातर रूझान केवल विषय के प्रति ज्यादातर होता है, क्योंकि ज्यादातर प्रोफ़ेसर यही मानते हैं कि सुपरवाइज़रों को अनुसंधान कराने में ज्यादा दिमाग खर्च करना पड़ता है और इसका फल ज्यादा नहीं मिलता। वेतन तो उतना ही मिलता है अलग भत्ता रिसर्च के लिए नहीं है। इसलिए सुपरवाइज़रों का रूझान अनुसंधान के प्रति कम होता जा रहा है। शुरू में अनुसंधान के प्रति रूझान बढ़ता है लेकिन आगे चल कर धीरे-धीरे कम होता जाता है, ज्यादातर यही देखा गया है।

5.डिग्री प्राप्त करने के प्रति रूझान: अधिकतर यह देखा गया है कि विद्यार्थी का रूझान वास्तविक अनुसंधान के प्रति बहुत ही कम होता है उनका रूझान केवल डिग्री प्राप्ति के लिए ज्यादातर होता है चाहे कैसे भी हो उनको डिग्री मिल जाये।

6. अनुसंधान का कार्य खर्चीला: कुछ विद्यार्थी शोध करना चाहते हैं उनका पूरा रूझान होता है परन्तु अनुसंधान का कार्य खर्चीला होने के कारण वे अनुसंधान की ओर अपना मुख नहीं कर पाते। सरकार भी कुछ ही शोधकर्ताओं को पैसा उपलब्ध करा पाती है। सभी शोधकर्ताओं को पैसा उपलब्ध न होने के कारण विद्यार्थी अपना मुख अनुसंधान की ओर नहीं कर पाते, चाहे उनकी रूचि है।

7. सुपरवाइज़रों के पास समय का अभाव: सही मायनों में देखा गया है कि सुपरवाइज़रों के ऊपर काम का बोझ होने के कारण शोधकर्ता, विद्यार्थी को कम समय दे पाते हैं कई बार तो अधिक बोझ होने के कारण एक साल या छः महीने तक सुपरवाइजर शोधकर्ता को समय नहीं दे पाते, जिस कारण कई शोधकर्ता बीच में ही अपना शोध का कार्य छोड़ देते हैं या ज्यादा दुःखी हो जाते हैं।

8. अच्छे अनुंसधान का कोई ग्रेड नहीं: अनुसंधान में यह देखा गया है कि इसमें डिग्री मिल जाती है या पेपर जर्नल में छप जाता है परन्तु अच्छे अनुसंधान को कोई भी ग्रेड नहीं मिलता। एक शोधकर्ता जो बड़ी मेहनत व लगन से शोध का कार्य करता है उसको भी डिग्री ही मिलती है और जो ऐसे-वैसे कार्य करता है उसको भी उसी तरह डिग्री ही मिलती है। इस तरह अच्छे शोधकार्य करने वाले शोधकर्ता के मन में खटास पैदा हो जाती है।

9. शोधकर्ता का अनुसंधान उसके सुपरवाइजर के मान व सम्मान पर निर्भर करता है: अगर शोधकर्ता की रूपरेखा अच्छी भी है फिर भी

स्टेंडिंग व आर.डी.सी. कमेटी में पास नहीं होती क्योंकि उसका सुपरवाइज़र इतना चुस्त नहीं है यह ज्यादातर देखा गया है और अगर उसका सुपरवाइज़र चुस्त है और ज्यादातर मान सम्मान वाला है तो उसकी रूपरेखा ठीक पास हो जाती है। इसलिए कमेटियों का पक्षपात भी एक बड़ी चुनौती है।

10. अनुसंधान परिणाम का कोई प्रयोग नहीं, (महत्त्व) नहीं: अनुसंधान परिणामों का कोई भी प्रयोग नहीं है चाहे कितनी भी मेहनत से शोधकर्ता ने परिणाम निकाले हों। यह केवल डिग्री प्राप्त होने के बाद लाइब्रेरी तक ही सीमित रह जाते हैं वास्तविक रूप में इनका कोई भी उपयोग या प्रयोग नहीं होता इसलिए शोधकर्ता भी डिग्री प्राप्त करने की ओर ज्यादा ध्यान देता है न कि अच्छे शोध की ओर।

11. डुपलीकेशन और रिपब्लिकेशन: अनुसंधान में डुपलीकेशन और रिपब्लिकेशन को देखा गया है। अगर असली रूप में शोधकार्यों को चैक किया जाए तो कम से कम 20 प्रतिशत शोधकर्ता में डुपलीकेशन और रिपब्लिकेशन बड़ी आसानी से मिल सकता है। जो अनुसंधान के सामने एक बड़ी चुनौती है।

12 गुणवता की अपेक्षा मात्रात्मक को महत्व: हमारे भारतीय अनुसंधानकार्य में यह भी देखा गया है कि गुणवता की अपेक्षा मात्रात्मक कार्य को ज्यादा महत्व दिया गया है। जिस शोधकर्ता ने अपनी शोध पुस्तक में ज्यादा पृष्ठ जोड़े हैं उसको महत्व ज्यादा दिया जाता है चाहे वे काम के हैं या नहीं और जिस शोधकर्ता ने अपनी शोध पुस्तक में कम पृष्ठ जोड़े है और सभी अनुसंधान से सम्बन्धित हैं तो उसको कम महत्व दिया जाता है।

13 डुपलीकेशन और रिपब्लिकेशन पर कोई बड़ी सजा का प्रावधान नहीं: डुपलीकेशन और रिपब्लीकेशन का पकड़ा जाना ही बड़ा मुश्किल है अगर पकड़ी भी जाती है तो डुपलीकेशन और रिपब्लीकेशन करने वाले को कोई सजा देनी चाहिए वास्तव में सजा बहुत ही कम दी जाती है।

14. अनुसंधान परिणामों के परिचालन का अभाव: अनुसंधान परिणाम उसी युनिवर्सिटी की लाइब्रेरी तक ही सीमित होते हैं जिस युनिवर्सिटी का शोधकर्ता होता है बाहर इन परिणामों का परिचालन बहुत ही कम होता है। भारत में ज्यादातर यही प्रथा देखने को मिलती है।

15. अनुसंधान की प्रक्रिया व चरण में अन्तर: वास्तविक रूप में देखा गया है कि अनुसंधान की प्रक्रिया व चरण में विभिन्नता देखने को मिलती है चाहे विभाग एक ही हो। एक युनिवर्सिटी से दूसरी युनिवर्सिटी में एक जैसे विभाग भी अनुसंधान प्रक्रिया व चरण में अन्तर देखने को मिलता है। इसका सबसे बड़ा दोष यही देखने को मिलता है कि जब एक युनिवर्सिटी का प्रोफ़ेसर दूसरी यूनिवर्सिटी में विशेषज्ञ बनकर जाता है तो वह शोधकार्य को अपनी युनिवर्सिटी के अनुसार निरीक्षण करता है जिस कारण कई अच्छे कार्य को भी महत्व नहीं दिया जाता और परिणाम यह निकलता है कि अच्छे विद्यार्थी को भी कई बार इसका शिकार होना पड़ता है।

16. शोधकर्ता को शोध विषय के सम्बन्ध में आरम्भिक ज्ञान का अभाव: जो भी शोध विषय का शोधकर्ता और शोध सुपरवाइज़र के बीच गहरी वार्तालाप से चयन किया जाता है वह वास्तविक रूप में सही परिणाम देता है और उचित समय पर हो जाता है परन्तु कई बार शोध विषय का चयन, बिना किसी तरह के वार्तालाप से

ही सुपरवाइज़र द्वारा चयन कर लिया जाता है तो वह शोधकर्ता के लिए एक मुश्किल बन जाती है। जिस कारण शोधकर्ता की रूचि अनुसंधान के प्रति कम होती जाती है और अनुसंधान के लिए एक चुनौती बन जाती है।

17. पद्धति का चुनाव: किसी भी प्रकार का अनुसंधान करने के लिए सम्बंधित शोध-विषय के अनुसार ही पद्धति का चुनाव करना चाहिए। लेकिन कई बार अनुसंधानकर्ता द्वारा सही ज्ञान न होने के कारण गलत पद्धति का चयन कर लिया जाता है। जिस कारण आगे चलकर अनुसंधन कार्य में बाधा उत्पन्न हो जाती है। जिस कारण शोधकर्ता और सुपरवाइजर दोनों के लिए एक चुनौती बन जाती है।

18. निर्देशन का चयन: शोधकर्ता को निर्देशन का चयन अपने सुपरवाइज़र के साथ गहरी वार्तालाप के साथ करना चाहिए और निर्देशन का चयन हमेशा विशेष विषय पर आधारित होता है। अगर गलत निर्देशन का चयन हो जाता है तो यह अनुसंधान में समस्या पैदा करता है अगर निर्देशन कम है या बहुत ही ज्यादा है, दोनों ही परिस्थितियों में समस्या पैदा करता है जो बाद में आकलन व परिणाम दोनों परिस्थितियों में एक चुनौती बन जाती है।

19. सांख्यिकी तकनीक का चयन: अच्छे अनुसंधान के लिए उचित सांख्यिकी तकनीक का प्रयोग करना चाहिए। कई बार ऐसा देखा गया है कि सांख्यिकी तकनीक का प्रयोग गलत हो जाता है जिस कारण तथ्यों का विश्लेषण और व्याख्या करने में कठिनाई उत्पन्न हो जाती है और एक समस्या बन जाती है जिस कारण अनुमानित परिणाम न निकालने के कारण सुपरवाइज़र और शोधकर्ता, दोनों के सामने एक चुनौती बन जाती है।

20. शोषण: शोध करना या शोध करवाना दोनों ही महत्वपूर्ण हैं और शोधकार्य दोनों की रूचि व रूझान पर निर्भर करता है। परन्तु कई बार सुनने में आता है कि शोधकर्ता चाहता है कि बिना मेहनत से ही कार्य हो जाये या कुछ ले दे के हो जाये या सुपरवाइज़र खुद कर दे या सुपरवाइजर खुद ही जानबूझकर समय नहीं देता या कई बार समय न होने पर शोधकर्ता का अनुसंधान का समय अवधी पूरी हो रही होती है और रूपरेखा अनुमोदित ही नहीं होती या काम आधा होता है इस तरह शोषण का मुद्दा सामने आता है जो एक चुनौती बन जाती है।

समाधान: अनुसंधान में बहुत सी समस्याएँ हैं जिनका सामना शोधकर्ता और सुपरवाइजर को करना पड़ता है परन्तु सच ही कहा है कि ऐसी समस्या संसार में कोई नहीं है जिसका हल नहीं निकाला जा सकता। जब कोई भी कार्य करना होता है तो शुरू में मुश्किलें ही पैदा करता है परन्तु जिस व्यक्ति को अपना उद्देश्य प्राप्त करना होता है उसे चुनौतियों का सामना करना ही पड़ता है और उद्देश्य की प्राप्ति कर लेता है। इसी तरह अनुसंधान क्षेत्र में चुनौतियाँ हैं अर्थात चुनौतियों से परिपूर्ण है लेकिन इन चुनौतियों का समाधान निम्नलिखित ढंग से किया जा सकता है:

1.अधिक से अधिक शोध केन्द्र खोलना: अनुसंधान में देखा गया है कि शोध करने वाले अधिक हैं परन्त शोध केन्द्रों की कमी के कारण शोधकर्ता, शोध नहीं कर पाते। इस चुनौती का सामना केवल अधिक से अधिक शोध केन्द्रों को खोल कर किया जा सकता है।

2.अनुसंधान के प्रति विद्यार्थियों में रूचि जागृत करना: अनुसंधान में एक बड़ी चुनौती है कि विद्यार्थियों का रूझान अनुसंधान के प्रति कम होता है। शुरू से ही शिक्षक को चाहिए कि विद्यार्थियो में अुनसंधान के प्रति रूचि पैदा करे और अच्छे अनुसंधान के लिए सम्मानित भी करें।

3.वास्तविक डाटा की उपलब्धता: यह अनुसंधान की सबसे बड़ी चुनौती है कि वास्तविक डाटा उपलब्ध नहीं होता, जिस कारण परिणाम अच्छे नहीं होते। अच्छे अनुसंधान के लिए वास्तविक डाटा का होना जरूरी है। उसके लिए नियम बनाने चाहिए कि अगर कोई झूठी सूचना देता है तो उस पर कड़ी कारवाई होगी। अगर शोधकर्ता झूठा डाटा दिखाता है तो उसका शोध कार्य रद्द कर देना चाहिए।

4. सुपरवाइज़रों की अनुसंधान के प्रति रुचि व रूझान का कम होना: सुपरवाइज़रों की अनुसंधान के प्रति रुचि धीरे-धीरे कम होती जा रही है क्योंकि अनुसंधान कराने के बदले उनको कोई अलग वेतन नहीं मिलता न ही कोई अलग से प्रमोशन मिलता है जिस कारण इनकी रुचि एवं रूझान कम होता जा रहा है यह एक चुनौती है। सरकार को चाहिए की सुपरवाइज़रों को उनके अनुसंधान करने व कराने पर उनको स्पैशल वेतन व प्रमोशन दे जिस कारण सुपरवाइज़रों में अनुसंधान के प्रति रूचि पैदा होगी।

5.डिग्री की प्राप्ति अच्छे अनुसंधान के बाद हो: वास्तव में देखा गया है कि शोधकर्ता केवल डिग्री प्राप्ति के उद्देश्य से शोध करता है न कि अच्छे अनुसंधान के उद्देश्य से काम करता है। यह एक अनुसंधान में चुनौती है। इसमें कड़े कानून बनाने चाहिए कि यदि अच्छा शोध कार्य किया गया हो तभी डिग्री दी जाये अन्यथा अनुसंधान के लिए दोबारा कहा जाए। पक्षपात शब्द या सिफारिश नाम की कोई भी चीज़ अनुसंधान में नहीं होनी चाहिए।

6.अनुसंधान का कार्य कम खर्चीला बनाना: वास्तव में देखा गया है कि अनुसंधान का कार्य बहुत ही खर्चीला होता है जिस कारण विद्यार्थी अनुसंधान में रूचि होने के बावजूद भी अनुसंधान की ओर मुख नहीं कर पाते। यह एक चुनौती है। सरकार को चाहिए कि जिस विद्यार्थी की रूचि अनुसंधान में है उसको सरकारी सहायता दी जाये ताकि वह विद्यार्थी जिसका रूझान अनुसंधान के प्रति हो अनुसंधान कर सके और अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर सके ताकि अच्छे अनुसंधान को बढ़ावा मिल सके।

7.अच्छे अनुसंधान के लिए ग्रेड पद्धति को लागू किया जाए: शोधकर्ता अनुसंधान में उतना ही कार्य करता है जितनी जरूरत होती है लेकिन डिग्री तो एक जैसी ही मिलती है। इसमे अच्छे या हल्के कार्य में कोई अन्तर नहीं होता। अगर ग्रेड पद्धति को लागू किया जाये तो उससे शोधकर्ता लगन और मेहनत करेंगे और अच्छे ग्रेड में डिग्री लेने का प्रयत्न करेंगे जिस कारण अनुसंधान को बढ़ावा मिलेगा परिणाम भी अच्छे निकलेंगे।

8.सुपरवाइज़रों के बोझ को कम करना: प्रोफेसरों को एम.ए. एम.सी.ए एम.फिल. की कक्षाएं भी पढ़ानी पढ़ती हैं उधर युनिवर्सिटी में अन्य कार्य करना पड़ता है। साथ में शोध कार्य भी करवाना पड़ता है जिस कारण वे अनुसंधान के प्रति ज्यादा रूचि नहीं दिखाते। यह एक बड़ी चुनौती है। अगर सुपरवाइज़रों को अनुसंधान के लिए ज्यादा से ज्यादा समय दिया जाए और अन्य बोझ कम कर दिया जाये तो अनुसंधान में

गुणवत्ता बढ़ेगी और बड़ी रूचि के साथ अनुसंधान का कार्य करवायेंगे और शोधकर्ताओं को ज्यादा से ज्यादा समय दे पायेंगे।

9.स्टैडिंग और आर.डी.सी. कमेटी का पक्षपात कम करना: स्टैडिंग और आर.डी.सी. कमेटी का पक्षपात भी अनुसंधान की चुनौती है क्योंकि ज्यादातर देखा गया है और महसूस किया गया है कि पक्षपात रहता ही है। इसका समाधान यही है कि जिस शोध विषय की आर.डी.सी.कमेटी है उसी शोध विषय के विशेषज्ञ को बुलाया जाये या लघु शोधकर्ता को उसके पास भेजा जाए या फिर आर.डी.सी. कमेटी में केवल एक ही युनिवर्सिटी के विशेषज्ञ को न बुलाकर अलग-अलग युनिवर्सिटियों के कम से कम तीन या पाँच विशेषज्ञ को बुलाकर आर.डी.सी. करवाई जाये और खुला वार्तालाप हो, जिस कारण पक्षपात होने का अवसर कम हो।

10. अनुसंधान परिणामों का उचित प्रयोग हो: जो भी अनुसंधान होता है उसके परिणाम उसी युनिवर्सिटी की लाइब्रेरी तक सीमित होते हैं। लेकिन प्रैक्टीकल रूप का कोई प्रयोग नहीं होता। अगर अनुसंधान परिणामों को प्रैक्टीकल रूप का प्रयोग किया जाये और अच्छे अनुसंधान के परिणाम लाने वाले शोधकर्ता को सम्मानित किया जाए तो अनुसंधान में काफी गुणवता आ सकती है और अनुसंधान कार्य को प्रोत्साहन मिल सकता है।

11. डुपलीकेशन व रिपब्बिलीकेशन पर पाबन्दी व सजा का प्रावधान: देखा गया है कि शोध में डुपलीकेशन व रिपब्लिकेशन बढ़ती जा रही है। इसके ऊपर चैकअप करना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है यह एक चुनौती बनती जा रही है। इस पर पाबन्दी लगाना बहुत ही जरूरी हो गया है क्योंकि इसमें अनुसंधान का महत्व कम ही होता जा रहा है। साथ में इसके लिए कड़ी सजा का प्रावधान होना चाहिए ताकि शोधकर्ता डुपलीकेशन और रिपब्लीकेशन पर पाबन्दी लगाई जा सके और अनुसंधान में गुणवत्ता लाई जा सके।

12. गुणवत्ता को महत्व: अनुसंधान में देखा गया है कि जो शोधकर्ता इधर-उधर की बातों को लिखकर एक मोटी सी शोध पुस्तक लिख लेता है उसे हम ज्यादा महत्व देते हैं लेकिन अगर उस मोटी शोध पुस्तक का आकलन करते हैं तो पाते हैं कि इसमें शोध विषय से सम्बन्धित सामग्री बहुत कम होती है और परिणाम भी सही नहीं होते लेकिन अगर छोटी सी शोध पुस्तक का आकलन करते हैं तो पाते हैं कि कम पृष्ठों में शोध विषय से सम्बन्धित सामग्री है और परिणाम भी सही हैं। इसके साथ कम शब्दों का प्रयोग करके शोधकर्ता ने सब कुछ दर्शा दिया होता है। इस स्थिति में कम शब्दों में भी लिखी शोध पुस्तक को लिखने वाले शोधकर्ता का सम्मान व प्रसंशा करनी चाहिए। कहने का अर्थ है कि गुणवत्ता की प्रशंसा व महत्त्व देना चाहिए।

13. अनुसंधान की प्रक्रिया व चरण की एकरूपता प्रारूप: देखा व पाया गया है कि विषय चाहे एक हो फिर भी अनुसंधान की प्रक्रिया व चरण एक युनिवर्सिटी को अनुसंधान की प्रक्रिया व चरण के प्रारूप दूसरी युनिवर्सिटी से अलग हैं। यदि एक युनिवर्सिटी का विशेषज्ञ दूसरी युनिवर्सिटी में जाता है तो वह शोध पत्र या शोध पुस्तक का आकलन अपनी युनिवर्सिटी के प्रारूप के आधार पर करता है जिसका खामियाजा शोधकर्ता को भुगतना पड़ता है। इसलिए अनुसंधान कि प्रक्रिया व चरण का प्रारूप राष्ट्रीय स्तर पर तय किया जाना चाहिए ।

14. अनुसंधान परिणामों का परिचालन: वास्तव में अनुसंधान परिणामों का परिचालन होना अति आवश्यक है क्योंकि परिणाम निकालने में काफी समय, दिमाग और पैसा लगता है यदि निकाले गए अनुसंधान के परिणाम लाइब्रेरी तक ही सीमित रहते हैं तो इससे शोधकर्ता का मनोबल गिर जाता है आगे चल कर वह रिसर्च का कार्य न करता है न ही अनुसंधान का कार्य करने के लिए किसी को प्रोत्साहित करता है, न अनुसंधान करवाता है इसलिए अनुसंधान परिणामों का परिचालन होना चाहिए ताकि अन्य शोधकर्ता को प्रोत्साहन व गाइडैंस मिल सके।

15. शोधकर्ता को शोध विषय के सम्बन्ध में पूरा ज्ञान होना चाहिए: वास्तव में देखा गया है कि शोधकर्ता, शोध करना शुरू कर देता है परन्तु उससे उसे रूचि नहीं होती न इसका पूर्ण ज्ञान है। जिस कारण शोधकर्ता की रूचि नहीं बन पाती और सही तरीके से काम नहीं करता। इसके लिए जरूरी है कि शोध विषय का चुनाव सुपरवाइज़र और शोधकर्ता दोनों की रूचि व गहरी वार्तालाप के बाद होना चाहिए।

16. निर्देशन का ज्ञान व सही चयन जरूरी है: सारा अनुसंधान निर्देशन पर निर्भर करता है अगर निर्देश सही है तो अनुसंधान का परिणाम भी सही होगा। वास्तव में देखा गया है कि शोधकर्ता को निर्देशन व निर्देशन के प्रकारों व निर्देशन के चयन की विधियों का पूर्ण ज्ञान नहीं होता, जिस कारण वह निर्देशक का चयन गलत करता है या ज्यादा कर लेता है तो खर्चा बढ़ जाता है या कम कर लेता तो परिणाम में समस्या पैदा हो जाती है क्योंकि वह समस्या के ऊपर प्रकाश नहीं डालता।

17. सांख्यिकी तकनीक का ज्ञान चयन: साख्यिकीय पद्धति का ज्ञान शोधकर्ता व सुपरवाइज़र दोनों को होना जरूरी है लेकिन देखा गया है कि कई बार सुपरवाइज़र को भी सांख्यिकीय तकनीक का ज्ञान नहीं होता, अगर है भी तो शोधकर्ता को नहीं होता। जिस कारण सही सांख्यिकीय तकनीक का प्रयोग न करके, गलत तकनीक का प्रयोग हो जाता है और गलत परिणाम सामने आते हैं जिस कारण अनुसंधान की गुणवत्ता पर प्रश्नचिह्न लग जाता है इसलिए दोनों सुपरवाइज़र व शोधकर्ता, दोनों को सांख्यिकी तकनीकों का ज्ञान होना जरूरी है तथा अनुसंधान में उचित तकनीक का प्रयोग करना अतिआवश्यक है।

18. अनुसंधान पद्धतियों का ज्ञान व चयन: अच्छे अनुसंधान के लिए अनुसंधान पद्धतियों का ज्ञान होना अति आवश्यक है यदि उचित ज्ञान होगा, तब ही शोधकर्ता, उचित पद्धति का प्रयोग अपने अनुसंधान में करके सही आंकड़े एकत्रित कर सकता है अगर गलत पद्धति का प्रयोग होता है तो अनुसंधान के परिणाम भी गलत होंगे।

19. शोषण से बचाव: शोषण शब्द का प्रयोग अनुसंधान में नहीं होना चाहिए। चाहे शोषण सुपरवाइज़र की तरफ से हो या शोधकर्ता की तरफ से हो या प्रशासन की तरफ से हो। अनुसंधान में स्वच्छ पर्यावरण की अति आवश्यकता होता है। मन और तन दोनों ही सुपरवाइज़र व शोधकर्ता का स्वच्छ व शुद्ध होना अति आवश्यक है। अगर कोई शोषण करता है तो उसके विरुद्ध कड़ी कारवाई होनी चाहिए।

20. डुपलीकेशन और रिपब्लीकेशन के लिए कड़ा नियमः डुपलीकेशन और रिपब्लिकेशन को रोकने के लिए सरकार को कड़े कदम उठाने चाहिए

क्योंकि इससे अनुसंधान की गुणवत्ता गिर जाती है और शोधकर्ताओं का विश्वास अनुसंधान से उठ जाता है। अनुसंधान की डुपलीकेशन व रिपब्लिकेशन को रोकने के लिए कमेटियां बनाई जाएँ। जो शोध हो रहे हैं उनकी पब्लिकेशन से पहले जाँच करना चाहिए। जाँच कमेटी का सर्टीफिकेट पब्लिकेशन के लिए जरूरी है जिस कारण डुपलीकेशन व रिपब्लिकेशन को आसानी से रोका जा सकता है और अनुसंधान में गुणवत्ता व विश्वास पैदा किया जा सकता है।

निष्कर्ष

अनुसंधान का क्षेत्र पहले बहुत ही सीमित था परन्तु धीरे-धीरे इसका क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। अनुसंधान केन्द्र सरकार ने बनाये हैं और कुछ बनाये जा रहे हैं। सरकार हर समस्या का हल अनुसंधान द्वारा करने का प्रयास कर रही है। अनुसंधान में नई-नई पद्धतियाँ व तकनीकी का प्रयोग किया जा रहा है। फिर भी हमारे भारत वर्ष में अनुसंधान करने व करवाने की गति अन्य देशों के मुकाबले कम है। साथ में गुणवत्ता, अन्य देशों की उपेक्षा कम है। भारत की सरकार अनुसंधान क्षेत्र की ओर प्रयासरत है। अनुसंधान के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों का सामना किया जा रहा है। अब वह दिन इतने दूर नहीं जब हमारा देश अनुसंधान के क्षेत्र मे अन्य देशों के मुकाबले आगे निकल जायेगा। यह दिन तभी जल्दी आ सकता है जब हमारी केन्द्र सरकार व राज्य सरकारें एकजुट प्रयास करें तथा नई-नई तकनीकों व पद्धतियों का प्रयोग अनुसंधान में करें और ज्यादा से ज्यादा धन उपलब्ध करवायें। सरकार को चाहिए कि अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए विशेष बजट का प्रावधान करें जो अनुसंधान के परिणाम आएं उनका प्रैक्टीकल उपयोग करें तथा शोधकर्ता को सम्मानित उसके अच्छे शोधकार्यों के लिए करें।

सन्दर्भ:

1 कौल लोकेश (1996) रिसर्च मेंथेडॉलोजी, नई दिल्ली, विकास पब्लिशिंग हाऊस लिमिटेड

2 त्रिवेदी आर.एन और डी॰पी॰ शुक्ला (एन॰डी), रिसर्च. मेंथेडॉलोजी नई दिल्लीः कालेज बुक डिपो

3 श्रीवास्तव डी॰एन (एन॰डी॰) अनुसंधान विधियाँ, आगरा, हनी ग्राफिक्स, सुभाष नगर

4 वेस्ट डब्ल्यू जान और खान वी॰ जेम्स (2006), रिसर्च इन एजुकेशन, नई दिल्लीःपी.एच.डी. प्राइवेट लिमिटेड